मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी पारषद्
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
नर्मदा भवन, द्वितीय तल, 'सी–विंग', 59, अरेरा हिल्स, भोपाल

क्र. 4390 /NREGS-MP/2008 भोपाल, दिनांक 8/7/2008

प्रति,

1. **कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक,**
   जिला .... (समस्त 48 जिले)
2. **मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक,**
   जिला पंचायत, जिला .... (समस्त 48 जिले)
   मध्यप्रदेश।

विषयः **राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से कार्यो का कियान्वयन।**

विगत दिवसों में आयोजित संभाग स्तरीय बैठकों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत कार्यान्वयन अभिकरणों (implementation agencies) के माध्यम से कार्यो के क्रियान्वयन के संबंध में की गई पृच्छाओं के सन्दर्भ में निम्नानुसार मार्ग दर्शन प्रसारित किया जाता है ।

क्रं.	पृच्छा	उत्तर
1.	क्या राज्य शासन के विभागों से प्राप्त प्रस्तावों को शैल्फ ऑफ प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट्स में शामिल करने के लिए तीनों स्तरों की पंचायतों का अनुमोदन आवश्यक है ?	पूर्व में समस्त जिलों द्वारा यह व्यवस्था अपनाई गई थी, विभिन्न विभागों के कार्यो को शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट में शामिल करने लिये त्रि–स्तरीय पंचायत राज संस्थाओं से अनुमोदन प्राप्त किया ग था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2004 की धारा 14 (ख) के अनुसार ब्लाक द्वारा तैयार की गई योजनाओं और जिला पर पंचायत द्वारा अनुमोदित की जाने वाली परियोजनाओं के शेल सम्मिलित करने के लिये अन्य कार्यान्वयन अभिकरणों से परियोजना प्रस्तावों का समेकन करना जिला कार्यक्रम समन्वयव दायित्व है । अधिनियम की धारा 15 (4) के अनुसार कार्यक्रम अधिकारी पंचायतों द्वारा तैयार किये गये परियोजना प्रस्तावों और म पंचायतों से प्राप्त प्रस्तावों का समेकन करके अपनी अधिकारि अधीन ब्लाक के लिये एक योजना तैयार करेगा । अधिनियम की धारा 16 (3) के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत पंचायत और वार्ड सभाओं की सिफारिश पर विचार करने के एक विकास योजना तैयार करेगी और स्कीम के अधीन जब क की मांग उत्पन्न होती है, किए जाने वाले संभव कार्यो का एव रखेगी ।

		अधिनियम की धारा 13 (2) (क) के अनुसार स्कीम के अधीन ि कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यान्वित की जाने वाली परियोजनाओं के ब अनुसार शैल्फ को अन्तिम रूप देना और उसका अनुमोदन करना ि पंचायत का कृत्य है । भारत शासन द्वारा जारी दिशा निर्देश 2006 (दूसरा संस्करण) वार्षिक योजना तैयार करने की प्रकिया अध्याय 3 के पैरा 3.3 में वार्षिक योजना तैयार करने की प्रकिया विस्तृत विवरण दिया गया है । कंडिका 3.3.7 में यह प्रावधान है जिस कार्यकम समन्वयक माध्यमिक पंचायतों से प्राप्त प्रस्तावों व क्रियान्वयन निकायों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर एक समग्र ि स्तरीय योजना प्रस्ताव तैयार करेगा जिस पर जिला पंचायत में चर्चा जाएगी । अधिनियम एवं भारत शासन द्वारा जारी दिशा निर्देश के उप प्रावधानों के प्रकाश में यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायतों एवं ज पंचायतों से भिन्न अन्य कार्यान्वयन अभिकरणों (जिनमें राज्य शासन कोई विभाग भी सम्मिलित है) से प्राप्त प्रस्तावों को जिला स्तर पर शै ऑफ प्रोजेक्ट्स में शामिल करने के लिए जिला पंचायत से ही अनुम आवश्यक है एवं इन्हें जनपद पंचायतों अथवा ग्राम पंचायतों से अनुम की आवश्यकता नहीं है । यहां इस बिन्दु पर भी ध्यान देना आवश्यक है कि उक्त ि निर्देश की कंडिका 3.3.7 के अनुसार जिला स्तरीय योजना ब्लाक बनाई जाना है ।
2.	यदि कोई जिला पंचायत, जनपद पंचायत अथवा ग्राम पंचायत वार्षिक शैल्फ ऑफ प्रोजेक्ट्स के प्रस्तावों को अनुमोदित करने में विलंब करती है, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जावे ?	कृपया परिषद् के पत्र क्रमांक 1955 दिनांक 29.03.08 एवं भारत सरकार के पत्र क्र0 J-11011/13/07 दिनांक 01.01.08 का अवलो हो, जिसमें वार्षिक शैल्फ ऑफ प्रोजेक्ट्स की तैयारी, संकलन एवं स सीमा में अनुमोदन किये जाने के संबंध में विस्तृत निर्देश जारी किए है । भारत सरकार के उक्त पत्र के पैरा क्र. 11 में स्पष्ट किया गय कि यदि कोई स्तर योजना प्रस्तावों को निर्धारित समय सीमा में अनुमोदन नहीं करता है तो उक्त प्रस्ताव को अनुमोदित हुआ माना जावेगा ।
3.	शासकीय विभाग द्वारा तैयार प्रस्तावों में ऐसे मद जो पंचायत एवं ग्रामीण	शासकीय विभागों के द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के ऐसे मद जो यांत्रिकी सेवा के शेड्यूल ऑफ रेट में सम्मिलित नहीं है, (जैसे विभाग में वृक्षारोपण अथवा अन्य कार्य) उन्हें जिला स्तरीय एस. रिवीजन तकनिकी समिति से अनुमोदन करा कर एस.ओ.आर. में किया जा सकता है एवं तद्नुसार प्राक्कलन में प्रावधान क

	विकास विभाग के अन्तर्गत ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के शेड्यूल ऑफ रेट में सम्मिलित नहीं है, की स्वीकृति कैसे दी जाए ?	तकनिकी स्वीकृति जारी की जा सकती है।
4.	शासकीय विभागों द्वारा प्रस्तुत कार्यो के प्राक्कलन में वर्क चार्ज एवं आकस्मिक मद के लिए क्या प्रावधान अनुमत हैं?	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पत्र क. 26/22/वि–7/ग्रा. रो.गां/2006 भोपाल दिनांक 02.01.07 में विभिन्न मदों के अन्तर्गत जारी निमार्ण कार्यों में वर्क चार्ज एवं आकस्मिक व्यय का विवरण है । अतः शासकीय विभागों के निर्माण कार्यो के प्राक्कलन में उक्त पत्रानुसार निर्देशों का पालन किया जावे, जिसमें निम्न व्यवस्था दर्शाई है:– **आकस्मिक निधि:–** रूपए 5 लाख तक के कार्यो के लिए – 3% रूपए 5 लाख से अधिक राशि के कार्यो के लिए – 2% **वर्क चार्ज हेतु :–** रूपए 2 लाख तक के कार्यो के लिए – 2% रूपए 2 लाख से अधिक राशि के कार्यो के लिए – 1.5% उक्त राशि से शासकीय विभाग एम.आई.एस. से संबंधित कार्यो को भी करा सकते हैं ।
5.	क्या वन विभाग के वर्किंग प्लान के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रस्तावों के संबंध में विभागों के लिए 20% कार्यो की स्वीकृति का बंधन रहेगा ?	पूर्व में विभाग द्वारा निर्देशित किया गया था कि ग्राम पंचायतों से कम से कम 80% तथा लाईन विभागों से 20% कार्य कराए जावे। वन विभाग के अन्तर्गत भारत शासन एवं राज्य शासन द्वारा अनुमोदित वर्किंग प्लान के प्रस्तावों की स्वीकृति हेतु 20% की सीमा को शिथिल किया जाता है परन्तु NREGA की धारा 16 (5), जिसके अनुसार "कार्यक्रम अधिकारी, ग्राम पंचायत के माध्यम से कार्यान्वित की जाने वाली किसी स्कीम के अधीन उसकी लागत के अनुसर कम से कम पचास प्रतिशत कार्य को आवंटित करेंगा ।" का पालन अनिवार्यतः करना होगा ।
6.	किसी शासकीय विभाग से तकनिकी स्वीकृति के साथ प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरांत प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने के पूर्व	विभिन्न सामग्रियों अथवा मजदूरी दरों में परिवर्तन सतत् प्रक्रिया है। अतः विभाग से प्राप्त हुये प्रस्तावों को यथास्थिति स्वीकृति प्रदान की जाए एवं कालांतर में संशोधित तकनिकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जावे।

	मजदूरी आदि की दरों में संशोधन होने की स्थिति में क्या पुनः नई दरों पर तकनिकी स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है ?	
7.	शासकीय विभागों को जनपद पंचायत से मस्टर रोल जारी करने की प्रकिया को और सुगम कैसे बनाएं ?	प्रत्येक जनपद पंचायत में मस्टर रोल जारी करने के लिए सप्ताह में किन्ही दो दिवसों को निश्चित किया जावे। इस प्रकार के चिन्हित दो दिवसों को समस्त जिले में कियान्वयन ऐजेन्सियों को अवगत कराया जावे । मस्टर रोल जारी करने वाले शासकीय अधिकारियों को उक्त दिवस में कार्यालय में उपस्थित रहने हेतु निर्देशित किया जावे एवं अपरिहार्य कारणों से उनके अनुपस्थिति की स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था की जाए ।
8-	शासकीय विभागों को एम.आई.एस. में जानकारी इन्द्राज करने हेतु क्या विशेष सुविधाएें उपलब्ध कराई जा सकती है ?	प्राथमिकता के आधार पर जनपदों पर ही डाटा एन्ट्री की जाना चाहिये। इस हेतु सप्ताह में किन्ही दो दिवसों को शासकीय विभागों की डाटा एन्ट्री कार्य हेतु आरक्षित किया जाए । यदि इन आरक्षित दिवसों में शासकीय विभागों का कार्य नहीं होने पर ग्राम पंचायतों के कार्यो का डाटा एन्ट्री कार्य किया जाए । जिन शासकीय विभागों के पास कार्य अधिक है उन्हें सीधे आनलाईन एन्ट्री की सुविधा दी जा सकती है, जिसके पासवर्ड उनकी मांग पर मुख्यालय द्वारा कलेक्टर के माध्यम से उपलब्ध करा दिये जाएँ, परंतु आनलाईन एन्ट्री की वैधता की जांच के लिये शासकीय विभाग को किसी जिम्मेदार अधिकारी को नामांकित करना होगा। उक्त अधिकारी एम.आई.एस. में इन्द्राज के उपरांत फाईल की फोटोकापी कार्यक्रम अधिकारी को देंगे।
9.	योजनान्तर्गत कार्यान्वयन अभिकरणों के साथ बेहतर समन्वय के लिए क्या अन्य सुझाव हैं ?	कलेक्टर/मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को प्रत्येक सप्ताह जिला स्तरीय शासकीय विभागों के जिला अधिकारियों की बैठक आहूत कर लंबित प्रस्तावों की स्वीकृति एवं योजना के कियान्वयन में आने वाली कठिनाईयों एवं परेशानियों का निराकरण करने की कार्यवाही करना चाहिये।
10.	मजदूरों को बैंक/पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भुगतान हेतु बैंक/पोस्ट ऑफिस मे खाते खोलने के कार्य	जिलो में सर्वप्रथम ग्राम पंचायतों को केन्द्र बिन्दु मानते हुये 0 किलोमीटर की परिधि में स्थित बैंक शाखाओं/पोस्ट ऑफिस में ऐ ग्रामीण परिवारों के खाते खोले जावें जिन्होंने वास्तव में कार्य किया है उदाहरण – यदि किसी ग्राम पंचायत में कुल 300 ग्रामीण परिवार और उनमें से वर्ष 07–08 के दौरान 100 परिवारों ने कार्य किया तो ऐ 100 परिवारों के बैंक खाते सर्वोच्च प्राथमिकता से खोले जावें। उ कार्यवाही के उपरान्त जिलो में यह आंकलन कर लिया जावे कि

	को किस तरह अधिक योजनाबद्ध तरीके से किया जा सकता है ?	परिवारो में अप्रेल, 08 से जून, 08 के मध्य रोजगार की मांग की है उनके खाते सर्वोच्च प्राथमिकता से खोले जावें। उक्त परिवारों के खाते खोलने के उपरांत ग्राम पंचायत से 5–15 किमी. की परिधि में स्थित बैंक शाखाओं में ग्रामीण परिवारों के खाते अगले चरण में खोले जावें।

(रश्मि अरूण शमी)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद
भोपाल

पृ.क्र. 4391/NREGS-MP/2008 भोपाल, दिनांक 8/7/2008

प्रतिलिपि :–

1. कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल ।
2. प्रमुख सचिव, वन, जल संसाधन, लोक निर्माण विभाग, मत्स्य पालन विभाग मंत्रालय भोपाल ।
3. समस्त संभागायुक्त ।
4. परियोजना समन्वयक, इन्दिरा गॉधी गरीबी हटाओं परियोजना (डी.पी.आई.पी.), भोपाल ।
5. परियोजना समन्वयक, ग्रामीण आजीविका परियोजना, भोपाल
6. संचालक, महात्मा गाधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान आधारतल जबलपुर ।
7. संचालक, भूमि एवं जल प्रबंधन मिशन (वाल्मी) भोपाल ।

की ओर सूचनार्थ ।

(रश्मि अरूण शमी)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद
भोपाल

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

नर्मदा भवन, द्वितीय तल, 'सी-विंग', 59-अरेरा हिल्स, भोपाल

क्र. 9365/योजना/एनआर-1/NREGS-MP/2008 भोपाल, दिनांक 7/10/2008

प्रति,

1. समस्त संभागायुक्त
2. कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक
   समस्त जिले
3. मुख्यकार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
   समस्त जिले
   मध्यप्रदेश

विषय: राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम-मध्यप्रदेश के अंतर्गत मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन एव परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की दरों का निर्धारण विषयक।

संदर्भ: 1. कार्या. का पत्र क. 3340/22/एनआरईजीएस-एमपी/योजना/08 दिनांक 2.5.08
2. श्रमायुक्त कार्यालय इन्दौर का पत्र क. 1/9/अन्वे./पांच/07/14968-15467 दि.23.6.08

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इन्दौर द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 23.6.08 की अनुसूची 'द' कृषि में नियोजन अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की दरों के साथ रूपए 88.00 निर्धारित की गई है। यह अधिसूचना दिनांक 30.4.08 से प्रभावशील की गई है।

NREGS-MP के अंतर्गत अकुशल श्रमिकों को रूपए 88.00 की दर से प्रतिदिन भुगतान किया जावें।

NREGS
23/10

7.10.08
(रश्मि अरूण शमी)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद
मुख्यालय, भोपाल

पृ. क्र. 9366/योजना/एनआर-1/NREGS-MP/2008 भोपाल, दिनांक 7/10/2008

प्रतिलिपि-

श्रीमती अमिता शर्मा, संयुक्त सचिव, NREGA ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन नई दिल्ली की ओर सूचनार्थ।

7.10.08
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद
मुख्यालय, भोपाल

CEO 28

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन संस्था)
नर्मदा भवन, द्वितीय तल, 'सी–विंग', 59–अरेरा हिल्स, भोपाल

क्र.1820/योजना/एनआर–1/NREGS-MP/2008 भोपाल, दिनांक 7/11/2008

प्रति,

1. कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक
   जिला .... (समस्त)
2. मुख्यकार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
   जिला .... (समस्त)
   मध्यप्रदेश

विषयः विधानसभा निवार्चन 2008 के संबंध में प्रभावशील आचार संहिता के दृष्टिगत राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम मध्यप्रदेश के कार्यों के सम्पादन विषयक।

संदर्भः 1. ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली का पत्र क्र. 28012/11205–06 एनआरईजीए (पीटी) दिनांक 27 अक्टूबर 2008.

2. निर्वाचन आयोग नई दिल्ली का पत्र क्र.437/6/2005–PLN III (Vol. III)/758 दिनांक 16 मार्च, 2006

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें, जिसके तहत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा आचार संहिता के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत कार्यो के क्रियान्वयन के संबंध में निर्देश प्रसारित किए गए है।

अतः पत्र में दिए गए निर्देशानुसार पालन कराना सुनिश्चित करें।

उक्त संदर्भित पत्र की प्रतियां संलग्न कर आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(रश्मि अरुण शमी)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्
मुख्यालय, भोपाल

पृ. क्र.1821 /योजना/एनआर–1/NREGS-MP/2008 भोपाल, दिनांक 7/11 /2008

प्रतिलिपि–

समस्त संभागायुक्त की ओर सादर सूचनार्थ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्
मुख्यालय, भोपाल

116

No.: 28012/11/05-06-NREGA (Pt.)
Government of India
Ministry of Rural Development
(NREGA Division)

Krishi Bhavan, New Delhi.
Dated: 27th October, 2008

To

The Principal Secretary/Secretary,
Department of Rural Development,
Government of ....Madhya Pradesh
...............Bhopal.......................

Subject: Implementation of National Rural Employment Guarantee Act (NREGA) -- Application of Model Code of Conduct

Sir/Madam,

Please find enclosed a copy of the directives received from Election Commission of India regarding implementation of National Rural Employment Guarantee Act (NREGA)--Application of Model Code of Conduct. The same has already been sent vide letter no. 28012/11/05-06-NREGA dated 20th March, 2006. This is for your information and necessary action.

Yours faithfully,

(R.K.Sood)
Under Secretary (NREGA)

Encl: as above

Most Immediate

By Special Messenger/ Speed Post/By Camp Bag

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

No 437/6/2006-PLN III (Vol. III) 758

Dated: 16th March 2006

To

Dr. Renuka Viswanathan
Secretary to the Govt. of India,
Ministry of Rural Development,
Dept of Rural Development
Krishi Bhavan
New Delhi-110001

533
(RD)
17/3/06

Subject: - Implementation of National Rural Employment Guarantee Act (NREGA) -Application of Model Code of Conduct- Regarding

Sir,

I am directed to refer to your D. O letter no 28012/11/05-06-NREGA dated 7th March 2006 on the above mentioned subject and to state that the Commission has reconsidered the matter and decided now as under:-

1. The Ministry of Rural Development shall not increase the number of districts in which NREGA is being implemented after announcement of elections in any State/UT.

2. The job card holders will be provided employment, if they demand work, after announcement of elections in the ongoing works.

3. In case no employment can be provided in ongoing works, the Competent Authority may start new work (s) from the shelf of projects that has been approved and inform the fact to concerned District Election Officer (DEO). No new work shall be started by the Competent Authority till such time employment can be given in ongoing works. In case no shelf of project is available or all works available on shelf have been exhausted then concerned Competent Authority shall make a reference to the Commission for approval through the concerned DEO. The Competent Authority shall also furnish a certificate to DEO to the effect that the new work has been sanctioned as no employment can be given to the job card holder in the on going work. Responsibility for following these instructions shall lie with the Authority sanctioning new work.

4. The Commission's instruction communicated vides its letter of even no. dated 7th February 2006 shall now stand withdrawn.

Yours faithfully,

(K. AJAY KUMAR)
SECRETARY

Copy forwarded to Chief Electoral Officers of all the States and Union Territories for

मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद

(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन संस्था)
नर्मदा भवन, द्वितीय तल, 'सी-विंग', 59-अरेरा हिल्स, भोपाल

क्र. 2200 / योजना / एनआर-1 / NREGS-MP / 2009

भोपाल, दिनांक 3 / 03 / 2009

प्रति,

1. कलेक्टर / जिला कार्यक्रम समन्वयक
   समस्त जिले
2. मुख्यकार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत / अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
   समस्त जिले
   मध्यप्रदेश

विषयः राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–मध्यप्रदेश के अंतर्गत मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी दर के निर्धारण विषयक।

संदर्भः भारत सरकार नई दिल्ली का अर्द्ध शासकीय पत्र क्रमांक जे–11013 / 2 / 2008 एनआरईजीए दिनांक 2 जनवरी, 2009

कृपया राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का 42) की धारा 6 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जो कि निम्नानुसार है :–

6. (1) Notwithstanding anything contained in the Minimum Wages Act, 1948 the Central Government may, be notification, specify the wage rate for the purposes of this Act :

Provided that different rates of wages may be specified for different areas:

Provided further that the wage rate specified from time to time under any such notification shall not be at a rate less than sixty rupees per day.

(2) Until such time as wage rate is fixed by the Central Government in respect of any area in a State, the minimum wage fixed by the State Government under section 3 of the Minimum Wages Act, 1948 for agricultural labourers, shall be considered as the wage rate applicable to that area.

वर्तमान में, श्रमायुक्त म.प्र. शासन द्वारा कृषि श्रमिकों के लिए घोषित न्यूनतम मजदूरी दर को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–मध्यप्रदेश के अंतर्गत मजदूरी दर घोषित किया जाता था।

अधिनियम की धारा 6 की [illegible] भारत सरकार ने मध्यप्रदेश में न्यूनतम मजदूरी की दर 91/– रूपए निर्धारित की है।

उक्त दरों का प्रकाशन भारत शासन के राजपत्र दिनांक 01.1.09 में किया गया है, जिसके अनुसार मध्यप्रदेश हेतु न्यूनतम मजदूरी दर 91/–रूपए निर्धारित की गई है।

CEO Letter II 2008

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–मध्यप्रदेश के अंतर्गत भविष्य में जो भी न्यूनतम मजदूरी की दरें भारत शासन द्वारा अनुमोदित की जाएगी, उसी के अनुसार मजदूरी भुगतान किया जावेगा।

उक्त जानकारी भारत शासन की वेबसाईट www.nrega.nic.in पर भी उपलब्ध है।

संलग्न : भारत शासन का राजपत्र

(रश्मि अरूण शमी)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद
मुख्यालय, भोपाल

पृ. क्र. 2201 / योजना / एनआर–1 / NREGS-MP / 2009 भोपाल, दिनांक 13 / 03 / 2009

प्रतिलिपि–

1. समस्त संभागायुक्त की ओर सादर सूचनार्थ।
2. संचालक, महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान आधरतल, जबलपुर की ओर सूचनार्थ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–मध्यप्रदेश
मुख्यालय, भोपाल

SATYENDRA KUMAR SINGH
DIRECTOR (NREGA)
Tele Fax.23070129

ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग
भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली - 110 001
Ministry of Rural Developmen
Deptt. of Rural Development
Government of India
Krishi Bhawan, New Delhi - 110 (

D.O. No. J-11013/2/2008-NREGA
Dated the 2nd January, 2009

Dear Sir,

I am to inform you that in exercise of the powers conferred by sub Section (1) of Section 6 of NREG Act, the Central Government has notified the wage rate. A copy of the notification is enclosed for your kind information. Notification may also be accessed at www.nrega.nic.in under NREG Act, 2005.

With regards,

85 PS/PRD/08
दिनांक 9-1-9

Yours sincerely,

Satyen

(Satyendra Kumar Singh)

Shri I.S. Dani
Principal Secretary
Department of Rural Development
Government of Madhya Pradesh
Bhopal – 462004.

CEO NREGA

1. issue a circular to all district officers
2. Pl put up a note explaining the implications for CM, CS & Minister
9/1/09

JC
12/1/09

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सत्यमेव जयते

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 1, 2009/पौष 11, 1930

No. 1] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 1, 2009/PAUSA 11, 1930

ग्रामीण विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 2009

का.आ. 1(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का 42) की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम के अधीन विभिन्न स्कीमों पर कार्यरत अकुशल कर्मकारों को संदाय के लिए इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 में यथा उल्लिखत राज्य /संघ राज्यक्षेत्र की बावत स्तंभ 3 के अधीन मजदूरी दर को विनिर्दिष्ट करती है ।

2. ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवत्त होंगें ।

[फा. सं. जे-11013/2/2008-एनआरईजीए]

अमिता शर्मा, संयुक्त सचिव

अनुसूची

कृषि श्रमिकों के लिए राज्यवार मजदूरी दर (रु. प्रति दिन)

क्र.सं.	राज्य / जिले का नाम	विद्यमान मजदूरी दर
1	असम	79.60 रु.
2	आंध्र प्रदेश	80 रु.
3	अरुणाचल प्रदेश	क्षेत्र - I (65 रु.) क्षेत्र - II (67 रु.)
4	बिहार	81 रु.
5	गुजरात	100.00 रु.
6	हरियाणा	141.02 रु.
7	हिमाचल प्रदेश	100.00 रु.
8	जम्मू व कश्मीर	70.00 रु.
9	कर्नाटक	82.00 रु.

1 GI/2009

122

10	केरल	125 रू.
11	मध्य प्रदेश	91.00 रू.
12	महाराष्ट्र	जोन I, II, III, IV** के लिए क्रमशः 72 रू., 70 रू., 68 रू. तथा 66 रू.
13	मणिपुर	पहाड़ी तथा घाटी के लिए 81.40 रू.
14	मेघालय	70.00 रू.
15	मिजोरम	91.00 रू.
16	नगालैंड	100.00 रू.
17	उड़ीसा	70.00 रू.
18	पंजाब	
18 (a)	होशियारपुर	98.61 रू.
18 (b)	जालंधर	93 रू.
18 (c)	नवांशहर	94.91 रू.
18 (d)	अमृतसर	105 रू.
19	राजस्थान	100 रू.
20	सिक्किम	100 रू.
21	तमिलनाडु	80.00 रू.
22	त्रिपुरा	85 रू.
23	उत्तर प्रदेश	100 रू.
24	पश्चिम बंगाल	75 रू.
25	छत्तीसगढ़	72.23 रू.
26	झारखंड	92.00 रू.
27	उत्तराखंड	73.00 रू.
28	गोवा	110 रू.
29	अंडमान निकोबार द्वीपसमूह	अंडमान जिला
		130 रू.
		निकोबार जिला
		139 रू.
30	दादर एवं नगर हवेली	108.20 रू.
31	दमन व दीव	102.00 रू.
32	लक्षद्वीप	115.00 रू.
33	पुदुच्चेरी	पुरुषों को 6 घंटे के कार्य के लिए 80 रू. महिलाओं को 5 घंटे के कार्य के लिए 70 रू.
34	चंडीगढ़	140.00 रू.

** महाराष्ट्र राज्य के लिए -

(1) जोन I में निम्नलिखित की स्थानीय सीमा के भीतर आने वाले क्षेत्र होंगे :

(i) सभी नगर निगम

(ii) पुणे तथा खिड़की कैंट

(iii) सरकार द्वारा निर्मित तथा परिचालित सिंचाई योजनाओं (लिफ्ट सिंचाई योजनाओं सहित) से बारहमासी जल आपूर्ति प्राप्त करने वाले कमांड क्षेत्र

(2) जोन II में निम्नलिखित की स्थानीय सीमा के भीतर आने वाले क्षेत्र होंगे :

(i) भिवंडी, मालेगांव, धुले, जलगांव, भुसावल, अहमद नगर, सतारा, सांगली, मिरज इचलकरंजी , जालना, परभनी, बीड, नांदेड़, लातूर, अकोला, अचलपुर, यवतमाल,

वर्धा, गोंदिया, चंद्रपुर, वसई, पनवेल, खोपोली, रत्नागिरी, मनमाड, नांदुरबार, शिरपुर-वीरवाडे, आमलनेर, चालीसगांव, चोपडा, पचोरा, श्रीरामपुर, संगमनेर, कोपरगांव, लोनावाला, बारामती, कराड, फल्टन, इस्लामपुर, बरसी, पंढरपुर, हिंगोली, पारली-वैजनाथ, आंबेजोगई, उदगीर, उस्मानाबाद, खामगांव, मलकापुर, बुल्ढाना, शेगांव, आकोट, करंजा, वाशिम, अंजनगांव-सुरजी, बडनेरा, वानी, पुसाड, हिंगनघाट, अरवी, पुलगांव, कामठी, उमरेड, भंडारा, तुमसर तथा बल्लारपुर;

(ii) देहूरोड, अहमदनगर, औरंगाबाद, कामठी, नासिक रोड तथा देवलाली कैंट;

(iii) सरकार द्वारा निर्मित बांधों से मौसमी जल आपूर्ति प्राप्त करने वाले क्षेत्र;

(3) **जोन III** में राज्य के वे अन्य सभी क्षेत्र शामिल होंगे जो **जोन I**, **जोन II** अथवा **जोन IV** में शामिल नहीं हैं ;

(4) **जोन IV** में निम्नलिखित सारणी में दर्शाए गए क्षेत्र शामिल होंगे, किंतु वे खंड (क) के उप खंड (iii) तथा खंड (ख) के उप खंड (iii) में न हों, अर्थात् :

सारणी

क्र.सं.	जिला	तालुक
1	जलगांव	चालीसगांव
		भडगांव
		परोला
		एरंडोल
		एदलाबाद (मुक्ताई नगर)
		अमलनेर (श्रीसला और अमलनेर सर्किल)
		पचोरा (नागरदेवलली सर्किल)
		सकरी
2.	धुले	धुले
		सिंदखेड़े
		नंदुरबार (धनोरा सर्किल को छोड़कर)
		चंदोर
3.	नासिक	कलवन
		नंदगांव
		डिंडोरी (वानी और डिंडोरी सर्किल)
		बगलान
		सिन्नार
		येवला
		मालेगांव
		निफाड

4.	पुणे	जुन्नार (नारायणगांव सर्किल)
		अम्बेगांव (मंचर सर्किल)
		खेड़ (खेड़ और चाकन सर्किल)
		दौंड
		बारामती
		इंदापुर
		पुरंदर
		शिरुर
5.	शोलापुर	शोलापुर उत्तर
		बरशी
		अकलकोट
		शोलापुर दक्षिण
		मोहोल
		मंगलवेढे
		पंढरपुर
		सिंगोला
		मालशीरस
		कर्मला
		माधा
6.	अहमदनगर	अकोले (अकोले और कोतुल सर्किल)
		पथरडी
		पारनेर
		अहमदनगर
		यामखेड़
		सेवगांव
		संगमनेर
		श्रीगोंडा
		कर्जट
		कोपरगांव
		श्रीरामपुर
		[illegible]
		राहुरी
7.	सांगली	[illegible]
		अटपडी
		कवाथे-महानकल
		खानापुर (खानापुर और विटे सर्किल)
		तासगांव (सावलज और विसापुर सर्किल)
		मिरज (मालेगांव सर्किल)
8.	सातारा	कोरेगांव
		मान

125

		खटाव
		खंडाला
		फाल्टन
		वैजापुर
9.	औरंगाबाद	गंगापुर
		कन्नड
		पैथान
		खुल्दाबाद
		औरंगाबाद
		अंबड (वाडी गोदरे और अंबड सर्किल)
		आस्ती
10.	बीड	पतोडा
		गोराथी
		बीड
		माजलगांव (नित्रुड और तालखेड सर्किल)
		केज (मिगुलवा सर्किल को छोड़कर)
		भूम
11.	उस्मानाबाद	परंदा
		उस्मानाबाद (थेर सर्किल को छोड़कर)
		तुल्जापुर
		कलंब (कलंब और मोहा सर्किल)
		मल्कापुर (मोटाला सर्किल)
12.	बुलढाना	खामगांव (वी-खामगांव सर्किल)

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st January, 2009

S.O. 1(E).— n exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 6 of the National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (42 of 2005), the Central Government spec fies the wage rate under Column 3 in respect of the State/UT as mentioned in Co umn 2 of the scheduled annexed hereto for payment to the unskilled workers working on various Schemes under the Act.

2. It shall come into force on the date of its publication in the official Gazette

[F. No. J-11013/2/2008-NREGA]
AMITA SHARMA, Jt. Secy.

1GI/09-2

126

SCHEDULE

State Wise Wage rate for Agricultural Labourers (Rs.per Day)

S. No.	Name of State	Wage rate in Rs. per day
(1)	(2)	(3)
1	Assam	Rs. 79.60
2	Andhra Pradesh	Rs.80.00
3	Arunachal Pradesh	Area-I (Rs. 65.00) Area-II (Rs. 67.00)
4	Bihar	Rs 81.00
5	Gujarat	Rs. 100.00
6	Haryana	Rs. 141.02
7	Himachal Pradesh	Rs. 100.00
8	Jammu & Kashmir	Rs. 70.00
9	Karnataka	Rs. 82.00
10	Kerala	Rs.125.00
11	Madhya Pradesh	Rs. 91.00
12	Maharashtra	Rs.72, Rs,70, Rs.68 & Rs.66 respectively for Zone I,II,III,IV**
13	Manipur	Rs. 81.40 for Hill & Valley
14	Meghalaya	Rs.70.00
15	Mizoram	Rs.91.00
16	Nagaland	Rs.100.00
17	Orissa	Rs.70.00
18	Punjab	
18(a)	Hoshiarpur	Rs. 98.61
18(b)	Jalandhar	Rs. 93.00
18(c)	Nawanshar	Rs. 94.91
18(d)	Amritsar	Rs. 105.00
19	Rajasthan	Rs. 100.00
20	Sikkim	Rs. 100.00
21	Tamil Nadu	Rs.80.00
22	Tripura	Rs.85.00
23	Uttar Pradesh	Rs. 100.00
24	West Bengal	Rs. 75.00
25	Chattisgarh	Rs. 72.2[illegible]
26	Jharkhand	Rs.92.00
27	Uttrakhand	Rs.73.00
28	Goa	Rs.110.00

29	Andaman & Nicobar	Andaman District Rs. 130.00 Nicobar district Rs. 139.00
30	Dadra & Nagar Haveli	Rs.108.20
31	Daman & Diu	Rs.102.00
32	Lakshadweep	Rs.115.00
33	Puducherry	Rs.80.00 for men for six hours of work & Rs.70.00 for women for five hours of work
34	Chandigarh	Rs.140.00

** **For Maharashtra State**, -

(1) **Zone I** shall comprise of the areas within the local limits of –

(i) all Municipal Corporations

(ii) the Pune and Kirkee Cantonments.

(iii) the Command areas receiving perennial water supply from the Irrigation Schemes (including lift irrigation schemes) constructed and maintained by Government;

(2) **Zone II** shall comprise of the areas within the local limits of –

(i) Municipal Councils of Bhiwandi, Malegaon, Dhule, Jalgaon, Bhusawal, Ahmednagar, Satara, Sangli, Miraj, Ichalkaranji, Jalna, Parbhani, Beed, Nanded, Latur, Akola, Achalpur, Yeotmal, Wardha, Gondia, Chandrapur, Vasai, Panvel, Khopoli, Ratnagiri, Manmad, Nandurbar, Shirpur-Wirwade, Amalner, Chalisgaon, Chopda, Pachora, Shrirampur, Sangamner, Kopergaon, Lonawala, Baramati, Karad, Phaltan, Islampur, Barsi, Pandharpur, Hingoli, Parli-Vaijanath, Ambejogai, Udgir, Osmanabad, Khamgaon, Malkapur, Buldhana, Shegaon, Akot, Karanja, Washim, Anjangaon-Surji, Badnera, Wani, Pusad, Hinganghat, Arvi, Pulgaon, Kamptee, Umred, Bhandara, Tumsar and Ballarpur.

(ii) Dehu Road, Ahmednagar, Aurangabad, Kamptee, Nashik Road and Deolali Cantonments;

(iii) The areas receiving seasonal water supply from the Government constructed dams;

(3) **Zone III** shall comprise of all other areas in the State , not included in Zone I and Zone II or IV;

(4) **Zone IV** shall comprise the areas mentioned in the Table below but not falling in sub-clause (iii) of clause (a) and sub-clause (iii) of clause (b), namely:

1 GI/09-3

Table

Sr. No.	District	Taluka
1.	Jalgaon	Chalisgaon
		Bhadgaon
		Parola
		Erandol
		Edalabad (Muktai Nagar)
		Amalner(Shrisala and Amalner Circles)
		Pachora (Nagardevalali Circle)
2.	Dhule	Sakri,
		Dhule,
		Sindkheda
		Nandurbar(excluding Dhanora Circle)
3.	Nashik	Chandor,
		Kalvan,
		Nandgaon
		Dindori(Vani and Dindori Circles)
		Baglan,
		Sinnar,
		Yeola,
		Malegaon,
		Niphad,
4.	Pune	Junnar(Narayangaon Circle)
		Ambegaon(Manchar Circle)
		Khed(Khed and Chakan Circle)
		Daund,
		Baramati,
		Indapur,
		Purander,
		Shirur
5.	Solapur	Solapur North,
		Barshi,
		Akkalkot
		Solapur South,
		Mohol,
		Mangalvedhe,
		Pandharpur,
		Sangola,
		[illegible]
		Karmala,
		Madha
6.	Ahmednagar	Akole(Akole and Kotul circles)

		Pathardi, Parner, Ahmednagar Iamkhed Shevgaon Sangamner, Shrigonda, Karjat, Kopergaon, Shrirampur, Nevase, Rahuri
7.	Sangli	Jat, Atpadi, Kavathe-Mahankal, Khanapur(Khanapur and Vite Circles) Tasgaon (Savalaj and Visapur Circles) Miraj(Malegaon Circle)
8.	Satara	Koregaon, Man, Khatav, Khandala, Phaltan
9.	Aurangabad	Vaijapur, Gangapur, Kannad, Paithan, Khuldabad, Aurangabad, Ambad(Vadi Godre and Ambad Circles)
10.	Beed	Aashti, Patoda, Georaai, Beed, Majalgaon(Nitrud and Talkhed Circles) Kej(excluding Gigulamba Circles)
11.	Osmanabad	Bhum, Paranda, Osmanabad(excluding Thair Circles) Tuljapur Kallamb(Kallamb and Moha Circles)
12.	Buldhana	Malkapur(Motala Circles) Khamgaon(B-Khamgaon Circles)

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MOST IMMEDIATE

AMITA SHARMA
Joint Secretary
Tel. No.2338 5027
Fax No.2338 4703

प्रथम निजी सहायक
ग्रामीण विकास एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री
भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली - 110 001
1st PRIVATE ASSISTANT
TO MINISTER OF STATE
FOR RURAL DEVELOPMENT AND
PARLIAMENTARY AFFAIRS
GOVERNMENT OF INDIA
KRISHI BHAWAN, NEW DELHI - 110 001

D.O. No. V-24011/5/2005-NREGA

Dated: 13th March, 2009

Dear Shri Dani,

Ministry of Rural Development appraised the Election Commission of India that the registration of households and issuance of job cards to registered households is a continuous process in compliance with the NREG Act and therefore cannot be suspended by any authority under any circumstances and requested them to issue guidelines so as to ensure implementation of the NREGA unhindered.

2. The Election Commission of India has conveyed their **no objection** to the proposal of the Ministry of Rural Development. Accordingly, you are requested to kindly note this and inform all implementing agencies that the process of registration of households and issuance of job cards to the registered households under NREGA must be carried on even after the announcement of the General Election and enforcement of Model Code of Conduct.

3. Copy of this communication is also posted on the NREGA website www.nrega.nic.in for information and compliance of all implementing agencies.

With regards,

Yours sincerely,

(Amita Sharma)

24 MAR 2009

SHRI I.S. DANI
Principal Secretary
Rural Development Department
Government of Madhya Pradesh
BHOPAL- 62001.

पृ.क्र. 2585/योजना/एनआर–1/NREGS-MP/2009 भोपाल, दिनांक 31/03/2009

प्रतिलिपि :–

जिला कार्यक्रम समन्वयक/कलेक्टर/मुख्यकार्यपालन अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक जिला समस्त की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

31.3.09

(ए०के० सिंह)
संयुक्त आयुक्त (प्रशासन)
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद